

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर 10012101 2411-I-15

रामकली पत्नि रामािकशन
ग्राम बारी तह व जिला छतरपुर

.....निगरानीकर्ता

...अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर छतरपुर के आदेश दिनांक 10/07/15 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रही है :-

- 1. यह कि, प्रकरण के संक्ष्प्ति में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा बारी तह. व जिला छतरपुर स्थित भूमि खसरा क्र 1563/1/1 रकवा 2.000 हेक्टेयर भूमि पर निगरानीकर्ता का 2/10/1984 के पूर्व से कब्जा होने के कारण दखलरहित अधिनियम के अंतर्गत निगरानीकर्ता द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने पर दिनांक 26/3/2003 को तहसीलदार छतरपूर द्वारा व्यवस्थापन आदेश पारित किया गया जिसे अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा काफी लंबी अवधि पश्चात् स्वप्रेरणा निगरानी मे पंजीबद्व कर निरस्त कर दिया है जिससे परिवेदित होकर निगरानीकर्ता की यह निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान के समक्ष प्रस्तृत है।
- 2. यह कि, अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा विधि के प्रावधानों व प्रकरण में निहित परिस्थितियों का विपरीत रूप से उपयोग करते हुए विधि विपरीत आदेश पारित किया है जो कि कानूनन स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।
- 3. यह कि, अपर कलेक्टर छतरपुर को इस बात को मानना चाहिए था कि तहसीलदार द्वारा विधिवत् सुनवाई करते हुए इश्तहार प्रकाशन कर पटवारी प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रकरण में आए दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के आधार पर अपना विधि सम्मत् आदेश पारित किया था जिसमें कानूनन किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी परंतु अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा मनमाने तौर पर बिना किसी युक्तियुक्त आधार के अपना विधि विपरीत आदेश पारित किया है जो कि निरस्त किए जाने योग्य है।

, ` <u>.</u> .

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ प्रकरण क्रमांक १७७७ र जिला

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
5-8-15	। 1— मेंने प्रकरण का आवलोकन किया। यह निगरानी श्रीमान	
	अपर कलेक्टर छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 342/अ—19(4)/स्व.	
	निग. / 2004-05 में पारित आदेश दिनांक 10 / 07 / 15 के	
	विरूद्धं म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा—50 के तहत	
	प्रस्तुत की गयी है।	
	2— आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में	
	कहा गया है कि विवादित भूमि ख0नं0 1563/1/1 रकवा 2.	
	000 हे0 भूमि पर आवेदक का दि. 02.10.1984 के पूर्व से कब्जा	
	चला आ रहा है इसी के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर	
	तहसीलदार राजनगर द्वारा 26.06.2003 को व्यवस्थापन आदेश	
	पारित किया था। जिसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं	
	की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी सूक्ष्म जॉच	
	एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना न्यायालय अपर कलेक्टर	
•	द्वारा स्वमेव निगरानी के विवादित आदेश पारित करते हुए भूमि	
	शासन के नाम दर्ज किए जाने के आदेश दिये गये है। इसी	
	आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई है।	
	यह भी तर्क किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा	
	आवेदिका के ससुर का कब्जा होने का आधार लेते हुए और	
	आवेदिका का कब्जा न होने के आधार पर प्रस्तावित कार्यवाही	
	की है। जबकि आवेदिका के ससुर का नाम के पश्चात आवेदिका	
	का नाम खसरा पांचसाला में दर्ज होने से विचारण न्यायालय	
	द्वारा व्यवस्थापन कर कोई त्रुटि नहीं की है कारण बताओं	
	सूचना पत्र का विधिवत जबाव प्रस्तुत किए जाने पर कोई	·
	साक्ष्य कब्जा बावत् नहीं ली गई है जबिक आवेदिका का कब्जा	
	पूर्व से वर्तमान तक चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में स्वमेव	
	निगरानी के तहत प्रस्तावित कार्यवाही निरस्त किए जाने का	
	अनुरोध किया है।	
0_	3- आवेदक की ओर से तर्क में कहा गया है कि लगभग	
26 /	15 वर्ष पूर्व किये गये व्यवस्थापन को शून्य किये जाने बावत् स्वप्रेरणा निगरानी की कार्यवाही की गई है जबकि पट्टेदार द्वारा	
•	विवादित भूमि पर श्रम, धन खर्च कर भूमि को छुन्नत बनाया	
	गया है जैसा कि राजस्व निर्णय 1999 पेज 263 मोहन तथा	

C.

अन्य विरूद्ध म.प्र. राज्य में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि स्वप्रेरणा की कार्यवाही युक्तियुक्त समय के भीतर की जाना चाहिए तथा एक वर्ष की अवधि अयुक्तियुक्त हो सकती है। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट केसेज 1994 राजचन्द्र बनाम युनियन ऑफ इन्डिया एस.एस.सी.-44 में यह मत निर्धारित किया है कि स्वप्रेरणा निगरानी की प्रक्रिया समय सीमा में की जाना चाहिए। माननीय उच्च न्याया. न्यायधीश एस.के. गंगेले ने इसी वर्ष 2013 में प्रकरण आनुधिक ग्रह निर्माण सहकारी समिति मार्या. वि. म.प्र. राज्य तथा एक अन्य रे.नि. 2013 पुष्ट 8 में भी 180 दिन से बाहर ऐंसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता का उल्लेख किया है अतएव उन्होंने आवेदिका को किया गया व्यवस्थापन आदेश स्थिर रखते हुए अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया है। उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयं के आदेश एवं प्रस्तृत दस्तावेज तथा न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया। अपर कलेक्टर द्वारा आवेदिका के ससुर का कब्जा होना मान्य किया है जो उसी के परिवार के सदस्य के होने से अवैद्य कब्जा नहीं माना जा सकता। अपर कलेक्टर द्वारा स्वमेंव निगरानी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया गया है। प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन वर्ष 2003 में किया गया है। एवं प्रस्तावित कार्यवाही वर्ष 2015 में प्रारंभ की गई है ऐसी स्थिति में प्रचलित कार्यवाही विधिसम्मत नहीं पाता हूँ। अतएव प्रस्तुत तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतों के परिपेक्ष्य में अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश स्थिर रखे जाना नहीं पाता हूँ। उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर छतरपर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.07.2015 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार छतरपुर किया गया व्यवस्थापन आदेश दिनांक 26.06.2013 स्थिर रखते हुए यह निगरानी स्वीकार की जाती है। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता हैं प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

0F]/